उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-16/2015/4163/62-2-2014-2/4(17)/2014
लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी,2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश सं0-2162/62-2-2014-2/4(17)/2014, दिनांक 25-8-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष् चयन) परीक्षा,2008 में किये गये चयन के परिणाम स्वरूप सहायक अभियंता (कृषि) के पद पर नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर श्री विनोद कुमार त्रिपाठी को सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, जनपद चित्रकूट के पद पर तैनात करते हुए नियुक्ति प्रदान की गयी है।

2- नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश सं0-2162/62-2-2014-2/4(17)/2014, दिनांक 25-8-2014 के प्रस्तर-5 में यह व्यवस्था की गयी है कि संबंधित अभ्यर्थी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नही करते है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नही है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

3- लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 के पत्र सं0-3194-1/62-2-2014-2/4(17)/2014, दिनांक 29-10-2014 द्वारा श्री त्रिपाठी को अंतिम अवसर देते हुए कार्यभार ग्रहण करने हेतु 15 दिन का और समय प्रदान किया गया, किन्तु श्री त्रिपाठी द्वारा लघु सिचाई विभाग में अद्यतन सहायक अभियंता, लघु सिचाई के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया और न कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग ही की गयी।

4- अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्मयक विचारोपरांत लोक सेवा आयोग द्वारा लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, का अभ्यर्थन एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

[redacted]

ह0/
चन्द्र प्रकाश ,
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-16/2015/4163(1)/62-2-2014 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद (रजिस्टर्ड)
3- कार्मिक अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।

6- अधीक्षण् अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, झॉसी।

7- कोषाधिकारी, चित्रकूट।

8- अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, चित्रकूट।

9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।(रजिस्टर्ड)

10- श्री विनोद कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री जय प्रकाश त्रिपाठी, ग्राम दहेंव, पोस्ट-बालवरगंज, जनपद जौनपुर। (रजिस्टर्ड)

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।